सं० ओ० वि०/यमुना/86-86/27343.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. डैन्सन इंजिनियरज (यमुना गैसिज यूनिट सरदाना नगर), अम्बाला रोड़, जगाधरी, के श्रमिक श्री जगमाल सिंह पुत्र श्री छज्जु राम मार्फत डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, इन्टक आफिस ब्राह्मण धर्मशाला रेलवे रोड़, जगाधरी, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जगमाल सिंह, की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/यमुना/87-86/27349-.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० डैन्सन इंजिनिमरज (यमुना गैसिज यूनिट सरदाना नगर), अम्बाला रोड़, जगाधरी, के श्रमिक श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द मार्फत डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, इन्टक आफिस ब्राहमण धर्मशाला, रेलवे रोड़, जगाधरी, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 नवम्बर, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री निर्मल कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 5 अगस्त, 1986

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/47-86/28126.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि आरिष्टो रब्बड़ इन्डस्ट्रीज, 46/4 फरीदाबाद के श्रमिक श्री हरिशंकर, पुत्र श्री शिव मुरत, गांव चन्द्रवली डा० मिसरावली चिरेवाकोट, जिला आजम गढ़ (यू०पी०) तथा उसक प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री हरिशंकर की सेवाऐं समाप्त की गई हैं या उसने स्वयं गैरहाजिर हो कर नौकरी पर पुर्नग्रहण का हक खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय उपरान्त वह किस राहत का हकदार है ?